सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	अग्रहायण 08, शुक्रवार, *शाके 1946*- नवम्बर 29, *2024* *Agrahayana 08, Friday, Saka 1946- November 29, 2024*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग(क)

विज्ञप्ति

जयपुर, अक्टूबर 03, 2023

संख्या 2 (25) वन/2023 :-चूंकि निम्नलिखित अनुसूची में दिखाई गई वन-भूमि सरकार की सम्पति है अथवा उनमें सरकार के स्वत्व हैं अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन-उपज अथवा उसके किसी अंश को स्वत्वधारी (Entitled) है।

और चूंकी सरकार उपर्युक्त वन-भूमि तथा बंजर-भूमि को राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 की धारा 29 उप-धारा (1) के अन्तर्गत रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करने का विचार रखती है। और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकारी अथवा वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप अभी तक किसी भी प्रकार से लेखबद्ध नहीं किये गये हैं।

और चूंकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर-भूमि में अथवा उन पर सरकार पर वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप के सम्बन्ध में जांच किया जाना तथा उन्हें लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है, परन्तु चूंकि इन कार्यों के सम्पादन में जितना समय लगेगा उस बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुचाने की आशंका है।

इसलिए अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 (1953 का एक्ट, संख्या 13) की धारा 29 की उप धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करतें हुए, सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सेटलमेन्ट ऑफिसर, असिस्टेन्ट फोरेस्ट सेटलमेन्ट ऑफिसर को पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर-भूमि में या उन पर सरकारी तथा वैयक्तिक अधिकारों की जांच करके उन्हें लेखबद्ध करने हेतु नियुक्त करती है तथा ऐसी जांच तथा अभिलेखन तथा साध्य उसी प्रणाली में किया जायेगा जैसा कि उक्त एक्ट की धारा 6, 7, 8, 10, 11(1), 12, 13, 14, 17, 18 तथा 19 में प्रावहित है।

और उक्त एक्ट की धारा 29 की उप धारा (3) के परन्तुक (Provision) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेसर अनुसरण में राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अभिलेखन सम्पादित होने तक उक्त वन-भूमि और बंजर भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करती है परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आयेगी और न उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा।

और सरकार उक्त एक्ट की धारा 30 द्वारा प्रदत शक्तियों के अग्रेसर अनुसरण में यह भी घोषणा करती है कि उक्त संरक्षित वन के वे वृक्ष जो इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये हैं, राजपत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से आरक्षित (Reserved) है और पूर्वोक्त तारीख से उक्त वन में पत्थरों का हटाया जाना अथवा चूना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का संग्रहीत किया जाना अथवा उसे किसी निर्माण प्रक्रिया का साधन बनाया जाना या हटाया जाना और उक्त वन में किसी भूमि का कृषि अथवा भवन निर्माण अथवा पशु-पालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये खण्ड़ित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची (वन-भूमि और बंजर-भूमि)

द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,

मोनाली सेन,

विशेषाधिकारी, वन।

प्रथम अनुसूची

क्रं. सं.	**नाम वनखण्ड**	**नाम तहसील**	**नाम जिला**	**सीमाए**	**विवरण**		
					ग्राम	**खसरा नं0**	**क्षेत्रफल है0 मे**
1	लिसाना	खैरथल	अलवर	उत्तरः- सीमा ग्राम बसई कलां दक्षिणः- सीमा ग्राम नांगल मोजिया पुर्वः- काश्त रकबा पश्चिमः- सीमा ग्राम नांगल मोजिया व लिसानी	लिसाना	**1 151/40 153/40**	**11.72 02.55 08.96**
					योग	**03**	**23.23**

ए0 के0 श्रीवास्तव

उप वन संरक्षक,

अलवर (राज0)।

द्वितीय अनुसूची

पेडो की सूची

क्र.सं.	बोटनिकल नाम	हिन्दी नाम
1	Anogeissus pendula	धोकडा, धो, फलधी, धोक
2	Azadirachta indica	नीम
3	Acacia nilotica	बबूल
4	Acacia catechu	खेर
5	Ziziphus nummularia	बेर
6	Acacia leucophloea	रोंझ, सफेद खेर
7	Balanites roxburghii	हींगोट
8	Prosopis cineraria	खेजडा
9	Pongamia pinnata	करंज
10	Salvadora persica	जाल

ए0 के0 श्रीवास्तव

उप वन संरक्षक,

अलवर (राज0)।

परिशिष्ट - क

प्रारम्भिक विज्ञप्ति के प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक, द्वारा प्रमाण पत्र

(जो लागू नहीं होता है उसे काट दें)

वन खण्ड - लिसाना

रेंज - खैरथल

वन मण्डल - अलवर

1 संलग्न प्रारूप में दर्शाई गई भूमि का वर्गीकरण क्रमशः वन विभाग/ चारागाह है । विभाग द्वारा भूमि की किस्म को बदला नहीं गया है।

2 वर्तमान में भूमि राजस्व लेखों मे बिना नाम दर्ज है इनमें काई अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नहीं हो रहा है।

3 वर्तमान मे कुछ क्षैत्रों में क्रमशः प्लांटेशन एवं अन्य विकास कार्य कराये गये है। इनमें कोई खनन कार्य नहीं हुए है। भविष्य में अन्य क्षैत्रों में भी विकास कार्य कराये जाने की संभावना है।

4 भूमि पर वृक्षों का घनत्व कुछ क्षेत्रों में 0.01 है तथा कुछ क्षैत्रों में नगण्य है। इस वनखण्ड में प्रमुख प्रजातियों बबूल, रोंझ, करंज, एवं धोक का लगभग प्रतिशत 30, 30, 10 एवं 5 क्रमशः है, तथा कुछ क्षैत्रों में घनत्व नगण्य है।

5 समीपवर्ती स्थित क्षैत्र प्रस्तावित भूमि खातेदारी एवं राजस्व (राजस्व बंजर/ खातेदारी) भूमि है, तथा चारों और की सीमाओं का विस्तृत उल्लेख विाज्ञप्ति मे कर दिया गया है।

6 वनखण्डों के वांछित मानचित्र (नक्शे) संलग्न है, एवं विज्ञप्ति मे दिखाई गई दिशाओं सीमाओं एवं स्थिति के अनुरूप है। प्रस्तावित वन क्षैत्रों की सीमा को नक्शें में लाल स्याही से इंगित किया गया है।

7 प्रस्तवित वनों के प्रारूप यथा विधि पूर्व में नहीं भेजने के कई कारण रहे है, किन्तु अब उल्लेखित वन क्षेत्रों के कानूनी स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप शासकीय गजट मे प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है, जिसमें कि इन भूमियों पर वन विभाग का साक्ष्य सिद्ध हो सके।

8 उक्त वन भूमि का पूर्व मे राजपत्र मे प्रकाशन नहीं हुआ है।

9 वनखण्ड में प्रस्तावित भूमि पूर्णतया वन विभाग के कब्जे में है ।

ए0 के0 श्रीवास्तव,

उप वन संरक्षक,

अलवर (राज0)।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।